# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./06/2012/बाड़मेर

अपीलांट

राज. सरकार जरिये तहसीलदार समदड़ी।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.नाथूसिंह पुत्र स्व. गुलाबसिंह जाति राजपूत का.मु.

1/1पीरसिंह पुत्र नाथूसिंह

1/2शेरसिंह पुत्र नाथूसिंह

1/3चन्द्रकंवर पत्नी नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी रातड़ी तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर।

1/4छोटूकंवर पुत्री नाथूसिंह पत्नी दुर्गसिंह भाटी, अम्बो का बाड़ा कोटडी तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर।

1/5मूलकंवर पुत्र नाथूसिंह राजपूत पत्नी अचलसिंह राजपूत रोहिचा खुर्द लूणी

1/6पिंकाकंवर पुत्री नाथूसिंह राजपूत नई रातड़ी पत्नी छैलसिंह राजपूत निवासी पिसावास तहसील लूणी जिला जोधपुर।

1/7धापूकंवर पुत्री नाथूसिंह राजपूत पत्नी रघुवीरसिंह राजपूत पुत्र मेघसिंह राजपूत निवासी नासौली, तहसील भीनमाल जिला जालौर।

1/8छैलकंवर पुत्री नाथूसिंह राजपूत पत्नी भभूतसिंह निवासी नासौली तहसील भीनमाल जिला जालौर।

2.लालसिंह पुत्र स्व. गुलाबसिंह जाति राजपूत का.मु.

2/1सूरजकंवर पत्नी लालसिंह

2/2पुष्पाकंवर पुत्री लालसिंह

2/3पूर्णकंवर पुत्री लालसिंह

2/4पीरूसिंह पुत्र लालसिंह

2/5नेपालसिंह पुत्र लालसिंह राजपूत निवासीयान रातडी तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर रेस्पोडेंट संख्या 2/4 से 2/5 नाबालिग

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner

जरिये कुदरती वली माता श्रीमती
सूरजकंवर
3.पन्नेसिंह पुत्र स्व. गुलाबसिंह
राजपूत निवासी रातड़ी तहसील
समदड़ी जिला बाड़मेर।

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा के राजस्व वाद संख्या 122/2000 बनवान नाथूसिंह वगै. बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2006 के विरूद्ध पेश हुई।**

**उपस्थित**

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री चन्द्रप्रकाश गुप्ता रेस्पोडेण्ट की ओर से

## निर्णय

दिनांकः— 28.02.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादीगण नाथूसिंह एवं उसके भाईयों का मौजा रातड़ी के खेत खसरा संख्या 116, 117 रकबा 58.15 बीघा व 71.05 बीघा कुल रकबा 130 बीघा भूमि पर वादीगण ने स्वयं को भू सेटलमेंट से पूर्व एवं बाद में लगातार काबिज एवं काश्तकार करना बताया है एवं सेटलमेंट के पश्चात 15.10.1955 को स्वयं को खातेदारी के अधिकार प्राप्त होना जाहिर किया है जबकि अपीलाधीन आराजी पर रेस्पोडेंटगण का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जबाव दावा पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त किसी भी प्रकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 07.06.2006 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को जबावदावा पेश करने का अवसर नहीं दिया गया तथा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आराजी पर रेस्पोडेंटगण का कब्जा काश्त साबित नहीं है। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner

अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समरी खसरा संख्या से वर्तमान खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी पारिवारिक बंटवाड़े में गुलाबसिंह के हिस्से में आई। अपीलाधीन आराजी पर रेस्पोडेंटगण दिनांक 15.10.1955 से पूर्व से लगातार काबिज काश्त है। मौके पर कब्जा रेस्पोडेंटगण का है। वादग्रस्त आराजी सेटलमेंट से पूर्व भी हमारे पूर्वजों के नाम से दर्ज थी फिर राजकीय भूमि दर्ज कर दिया गया। वादग्रस्त आराजी को लेकर 91 दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम सम्मन जारी किया गया जिस पर तहसीलदार स्वयं से तामील है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में जानबूझकर उपस्थित नहीं होने से न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय ने पाया है कि रेस्पोडेंट/वादीगण द्वारा हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.09.2000 को पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर तारीख पेशी दिनांक 06.02.2001 अंकित है जिस पर तहसीलदार स्वयं से तामील है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तारीख पेशी दिनांक 06.02.2001 से दिनांक 07.06.2006 तक 41 बार अपीलांट को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया गया लेकिन बावजूद पर्याप्त तामील के राजपैरोकार/तहसीलदार अनुपस्थित रहने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात न्यायालय में उपस्थित नहीं होने में पक्षकार का कोई दोष नहीं है। राजपैरोकार की गलती या प्रकरण को लेकर पैरवी में दर्शायी उदासिनता का दण्ड पक्षकार को नहीं दिया जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट द्वारा पेश एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श 01 से प्रदर्श 27 से वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट/वादीगण का कब्जा काश्त साबित है। अपीलाधीन आराजी पर विगत भू-प्रबंध से पहले से रेस्पोडेंटगण/वादी का कब्जा काश्त रहा है। अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजात या साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिसमें यह साबित होता हो कि वादीगण/रेस्पोडेंट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। सेटलमेंट अधिकारियों को बिना किसी कारण या सक्षम अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के अभाव में कब्जा काश्त की खातेदारी की भूमि को राजकीय सिवायचक दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। वादी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य रूप में बयान शपथ-पत्र तथा अन्य गवाहन के बयान वाद-पत्र के समर्थन में है। वादीगण का उक्त खसरा में बतौर अतिक्रमी समय-समय पर काश्त की जाती रही है। सेटलमेंट अधिकारियों ने बिना किसी आधार और बिना कारण वादीगण की कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि काटकर राजकीय सिवायचक दर्ज करने में भूल की है। ऐसा करने के लिए वे अधिकृत भी नहीं है। सैटलमेंट द्वारा गलत रूप से बिना किसी आधार के बिना कोई सक्षम न्यायालय के आदेश के उसको मनमाने तरीके से कमी की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय में भी रिकॉर्ड पर उपलब्ध अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन कर जो अपीलाधीन निर्णय दिया है वह उचित है। उसमें किसी भी प्रकार के दखल की आवश्यकता नहीं है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा के राजस्व वाद संख्या 122/2000 बनवान नाथूसिंह वगै. बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2006 को यथावत रखा जाता है।

28/2/20

(नाथूसिंह भाटी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/2/20

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner